an>

title: Need to provide compensation to the family of a victim of electrocution by a B.S.N.L tower in Rajaji Puram, Lucknow in Uttar Pradesh.

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासी श्री संतोÂष कुमार सोनी, जो एक बहुत ही गरीब परिवार के व्यक्ति हैं, जिनकी मासिक आय लगभग चार हजार रुपये से अधिक नहीं है, की तरफ आकर्Âिषत करना चाहता हूँ।

<u>18.01 hours</u> (Shri Ramen Deka *in the Chair*)

उनके घर से सटे एक खाली प्लॉट में बीएसएनएल के एक कर्मचारी द्वारा बीएसएनएल का टावर लगाया गया, जिसमें 11 हजार के.वी. बिजली की सप्लाई होती है। चूंकि उसी में उसकी पुत्री पलक सोनी इसी टावर से दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसके कारण वह दोनों हाथों से अपंग हो गयी और वह पूरी तरह से विकलांग हो गयी। उसका ऑपरेशन लगभग 17 बार किया जा चुका है। फिर भी उसकी स्थिति ठीक नहीं हुई है।

पलक सोनी के उपचार में अस्पताल में काफी रुपये व्यय हुए और न्यायालय से न्याय पाने की कार्यवाही में भी काफी पैसा व्यय हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसकी किसी प्रकार की सहायता न बीएसएनएल विभाग द्वारा की गयी और न ही मंत्रालय द्वारा कोई सहायता की गयी, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गयी है।

इलैक्ट्रिक सप्लाई अथारिटी, जिसके द्वारा वहाँ पर बिजली की सप्लाई होती थी, उसके द्वारा भी उसे कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि पलक सोनी, जो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण दोनों हाथों से अपंग हो गयी है, की आर्थिक सहायता की जाए तथा बीएसएनएल के उस कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और वहाँ पर अवैध तरीके से जो टावर लगाया गया है, उसको तत्काल वहाँ पर से हटाया जाए। सरकार के द्वारा भी उसे आर्थिक सहायता पहुंचायी जाए, मेरी यह मांग है।

HON. CHAIRPERSON:

Shri Bhairon Prasad Mishra and

Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Kaushal Kishore.